न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प सागर म.प्र.
प्र/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/3909
सुनील कुमार तनय कन्छेदीलाल जैन,

निवासी ग्राम बड़ा मलहरा तह0 बड़ा मलहरा

एस.के. अवस्थी जिला छतरपुर म.प्र. ... आवेदक/निगरानीकर्ता

13-10-17

।। बनाम।।

For Hanhne 13-10-17

बिहारी तनय मना यादव

निवासी ग्राम महाराजगंज तह0 बड़ा मलहरा

जिला छतरपुर म.प्र. ..अनावेदक

पेशी. 7-11-17

पुनरीक्षण/निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

अधि.न्या अनु० अधि० महो० बड़ामलहरा के रा०अपील्र० 93/अपील/015/16 में पारित आदेश दिनांक 14/9/017 से दुखित होकर

महोदय,

प्रार्थी/आवेदक निम्न विनय प्रस्तुत करता है:-

अ.23-1/1
93/90/90

यहकि, भूमि खसरा नं. 2173/4, 2648/4, 2649, 2651, 2652, 2653, 2656, 2668 कुलकिता 9 एकत्र रकवा 0.768हे0 भूमि स्थित ग्राम महराजगंज प.ह.नं. 28/31 रा.नि.मं. बड़ा मलहरा तह0बड़ा मलहरा मैं स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी/आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख मे भूमि-स्वामीस्वत्व पर दर्ज है जो भूमि प्रार्थी के द्वारा रजि0 विक्रयपत्र दिनांक 06.05.2015 को क्रय की थी और तभी से प्रार्थी लगातार उक्त भूमि पर काबिज कास्त कृषि कार्य कर रहा है एवं वर्तमान मे प्रार्थी ने उड़द की फसल बोयी हुई थी।

2- यहकि, प्रार्थी की उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात प्रार्थी का नामांतरण पंजी क्र. 22 आदेश दि0 20.08.2015 को श्रीमान तहसीलदार महोदय बड़ा मलहरा के द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे नामांतरण किया गया और उक्त भूमि प्रार्थी के नाम पर खसरा अभिलेख मे भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेख मैं दर्ज है।

3- यहकि, अनावेदक के द्वारा प्रार्थी के उक्त नामांतरण पंजी क्र. 22 आदेश दि0 20.08.15 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक I/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2017/3909

सुनील कुमार विरूद्ध बिहारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	आवेदक की ओर से श्री एस0के0 अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 93/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14-9-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 20/02/19 सदस्य	